भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 2901

दिनांक 12.12.2016 को उत्तर दिए जाने के लिए

सुरक्षित पेयजल की अनुपलब्ध्ता

2901. श्री आर॰ वैद्यलिंगमः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या कई राज्यों में सुरक्षित पेयजल की अनुपलब्धता की समस्या बनी हुई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा और कारण क्या हो;
(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि मंजूर/व्यय की गई है;
(घ) क्या सरकार पेयजल के प्रयोजनार्थ नल के द्वारा स्वच्छ जल प्रदान करने के किसी मिशन पर काम कर रही है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हों?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशानिर्देश के अनुसार ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जिन्हें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर से अधिक पेय जल प्राप्त हो रहा है उन्हें पूर्णत कवर (एफसी) माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्र जिन्हें 40 एलपीसीडी से कम जल प्राप्त होता है, उन्हें आंशिक रूप से कवर (पीसी) माना जाता है और ग्रामीण क्षेत्र जहां पेय जल रासायनिक रूप से संदूषित है, उन्हें गुणवत्ता प्रभावित (क्यूए) माना जाता है। इस मंत्रालय के एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर 07.12.2016 तक राज्य सरकार द्वारा अंकित डाटा के अनुसार पूर्णतया कवर, आंशिक रूप से कवर और गुणवत्ता प्रभावित बसावटों का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-I** पर है।

(ग) विगत 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एनआरडीडब्लूपी के तहत संस्वीकृत/खर्च की गई निधियों का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-II** पर है।

(घ) और (ड.) मंत्रालय ने वर्ष 2011-2022 की अवधि हेतु ग्रामीण पेयजल क्षेत्र के लिए एक कार्यनीति तैयार की है जो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक परिवारों को नल जलापूर्ति प्रदान करने पर बल देती है। 2017 तक अंतरिम लक्ष्य है सभी ग्रामीण परिवारों में से 50% परिवारों को नल जल आपूर्ति की सुविधा से कवर करना और 35% ग्रामीण परिवारों को घरेलू कनेक्शनों से कवर करना। वर्ष 2022 तक 90% ग्रामीण परिवारों को नल जल आपूर्ति की सुविधा से कवर करना और 80% परिवारों को घरेलू कनेक्शन उपलब्ध कराना। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने देश में आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों की समस्या का समाधान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

अनुलग्नक-I

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2901 के भाग (ख) में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 7.12.2016 तक पेयजल आपूर्ति के संबंध में ग्रामीण बसावट की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	बसावटों की कुल संख्या	पूर्ण रूप से कवर की गई बसावटों की संख्या	आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों की संख्या	गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	400	324	76	0
2	आंध्र प्रदेश	48342	32952	14864	526
3	अरुणाचल प्रदेश	7577	2847	4675	55
4	असम	88099	55844	23473	8782
5	बिहार	110234	64826	40148	5260
6	छत्तीसगढ़	74647	70556	2968	1123
7	गोवा	347	345	2	0
8	गुजरात	36066	36061	5	0
9	हरियाणा	7948	7500	242	206
10	हिमाचल प्रदेश	53604	41492	12112	0
11	जम्मू एवं कश्मीर	15958	8714	7239	5
12	झारखंड	120067	113033	429	6605
13	कर्नाटक	60220	27201	31113	1906
14	केरल	11883	3551	7676	656
15	मध्य प्रदेश	128067	127867	47	153
16	महाराष्ट्र	100066	88164	11510	392
17	मणिपुर	2868	2239	629	0
18	मेघालय	10475	1670	8795	10
19	मिजोरम	738	447	291	0
20	नागालैंड	1530	707	780	43
21	ओडिशा	156468	127887	25914	2667
22	पुडुचेरी	266	153	113	0
23	पंजाब	15384	9858	1817	3709
24	राजस्थान	121648	55025	45990	20633
25	सिक्किम	2084	731	1353	0
26	तमिलनाडु	100204	91385	8468	351
27	तेलंगाना	24582	13031	10070	1481
28	त्रिपुरा	8723	4242	519	3962
29	उत्तर प्रदेश	260801	259386	1054	361
30	उत्तराखंड	39209	21643	17548	18
31	पश्चिमी बंगाल	105905	51600	44515	9790
कुल		**1714528**	**1321281**	**324553**	**68694**
प्रतिशत			**77.06**	**18.93**	**4.01**

(स्रोत: फॉर्मेट सी-17)

अनुलग्नक-II

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2901 के भाग (ग) में उल्लिखित अनुलग्नक

गत 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत संस्वीकृत/रिलीज और व्यय की गई राशि का विवरण **(राशि करोड़ रु. में)**

		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17 (28.11.2016 तक व्यय)	
क्र.सं.	राज्य	संस्वीकृत	व्यय	संस्वीकृत	व्यय	संस्वीकृत	व्यय	संस्वीकृत	व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.09	0.64	0.81	0.43	0.16	0	0.22	0
2	आंध्र प्रदेश	631.52	662.4	377.78	427.08	170.05	190.6	73.27	73.43
3	अरुणाचल प्रदेश	237.32	230.97	109.83	119.5	65.4	66.23	76.33	42.02
4	असम	524.97	635.18	585.32	586.88	284.11	216.2	107.28	77.63
5	बिहार	348.94	307.43	399.11	381.9	202.73	295.38	180.31	162.58
6	छत्तीसगढ़	135.2	172.38	150.74	173.08	60.83	64.64	32.44	26.38
7	गोवा	0	2.22	0	0	1.66	0	1.19	3.35
8	गुजरात	515.07	627.95	405.58	491.44	238.91	274.78	118.37	118.45
9	हरियाणा	229.52	301.15	277.98	228.82	122.65	150.74	53.45	49.83
10	हिमाचल प्रदेश	130.81	153.33	120.89	120.18	64.38	69.88	61.25	32.21
11	जम्मू एवं कश्मीर	414.82	499.79	474.41	458.03	192.12	222.16	113.73	83.85
12	झारखंड	253.28	277.96	175.18	206.88	132.09	133.7	77.17	59.23
13	कर्नाटक	897.29	928.81	563.91	622.37	278.08	366.68	137.38	159.43
14	केरल	212.04	265.1	124.1	131.86	48.05	64.45	28.02	27.55
15	मध्य प्रदेश	474.95	483.98	440.18	399.94	193.73	387.62	136.7	94.31
16	महाराष्ट्र	690.27	657.46	748.23	901.96	330.88	584	165.59	204.69
17	मणिपुर	55.3	57.17	88.54	92.25	27.92	43.44	14.44	18.66
18	मेघालय	103.4	114.81	69.5	81.02	31.24	30.92	32.53	23.37
19	मिजोरम	44.89	33.37	34.5	39.81	17.32	23.16	9.19	8.38
20	नागालैंड	61.07	52.38	101.44	86.45	38.53	61.9	11.33	4
21	ओडिशा	317.07	288.08	230.67	257.29	103.19	150.64	96.84	34.72
22	पुडुचेरी	0.06	0	0	0	0	0	0.29	0
23	पंजाब	147.95	159.05	97.38	90.23	42.79	36.57	27.04	37.47
24	राजस्थान	1332.49	1572.96	1304.64	1386.79	526.75	480.21	289.2	252.24
25	सिक्किम	26.56	71.25	31.7	32.03	12.05	12.49	7.28	2.74
26	तमिलनाडु	387.11	527.57	382.46	432.39	182.35	164.85	116.41	69.45
27	तेलंगाना	-	-	212.24	189.25	97.71	106.42	83.69	48.99
28	त्रिपुरा	89.93	94.19	68.31	64.81	31.68	39.97	24.45	12.62
29	उत्तर प्रदेश	804.92	858.5	1073.22	1146.18	490.31	690.46	342.97	171.19
30	उत्तराखंड	87.61	138.59	111.48	152.94	60.06	98.91	48.62	42.85
31	पश्चिमी बंगाल	485.83	757.11	431.09	480.72	216.85	288.75	153.7	103.99
कुल		**9640.28**	**10931.8**	**9191.22**	**9782.51**	**4264.58**	**5315.75**	**2620.68**	**2045.6**